समयबद्ध / अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–02),
सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्याः 25 /प्र0अ0/सिं0वि0/का–02/ई–16, दिनांक : 04 जनवरी 2025

विषयः स्थानान्तरण सत्र–2025 हेतु समूह 'ग' एंव समूह "घ" के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
मुख्य अभियन्ता (स्तर–01), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–02), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05.01.2018 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र–2025 हेतु कार्मिकों के सेवा विवरण की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय में कार्यरत **समूह 'ग' एंव समूह "घ"** के कार्मिको की वांछित सूचना/सेवा विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर **पृथक–पृथक सुव्यवस्थित रूप से अधिष्ठानवार/पदवार** तैयार कर दिनांक 31.01.2025 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को हार्ड एंव सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वांछित सूचना/सेवा विवरण हॉर्ड एंव सॉफ्ट कॉपी के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से ई–मेल आई0डी0 sso.karmik2@gmail.com पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

वांछित सूचना/सेवा विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व उसका भंलि–भांति परीक्षण/मिलान सम्बन्धित कार्मिकों के सेवा अभिलेखों से कर लिया जाये तथा सूचना पूर्ण रूप से सही होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सहित इस कार्यालय में प्रेषित की जाये। सूचना प्रेषण के उपरान्त यदि किसी प्रकार की भिन्नता उजागर/परीलक्षित होती है एंव किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त के अतिरिक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को समूह 'ग' के अन्तर्गत सम्मिलित कर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

नोटः–

1. जिन कार्मिकों के द्वैत कार्यभार/सम्बद्वीकरण सम्बन्धी आदेश इस स्तर अथवा अन्य स्तर से निर्गत किये गये है, उन कर्मचारियों की सुगम/दुर्गम सेवाओं की गणना उसी कार्यालय में की जायेगी, जिस कार्यालय में वास्तविक रूप से कार्य किया है।
2. कार्मिक की (सुगम/दुर्गम) की गणना 31.05.2025 तक की जायेगी।
3. जिन कार्यालयों का कार्य सुगम एवं दुर्गम दोनो क्षेत्र में है, उन कार्यालयों के कार्मिको के सुगम एवं दुर्गम के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण भी उपलब्ध करायें।
4. इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक–8249/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक–2, दिनांक 05.12.2024, जो कि आगामी स्थानान्तरण वर्ष 2025 हेतु कार्मिकों की सुगम–दुर्गम की सेवाओं की स्पष्टता के निर्धारण से सम्बन्धित है, के अनुसार वास्तविक स्थिति उपलब्ध करायें।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (का–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

O/C

4/1/25

स्थानान्तरण सत्र 2025

क्रं स.	कार्मिक का नाम/ जन्मतिथि/ गृहजनपद/ जाति	पदनाम	कार्यरत कार्यालय का नाम	वर्तमान कार्यालय में योगदान की तिथि	विभाग में नियमित पद पर नियुक्ति की तिथि	स्थाईकरण की तिथि	वर्तमान पद पर योगदान की तिथि	कब से	कब तक	पृथक– पृथक कार्यरत तिथि अनुसार कार्यालय का नाम	सम्पूर्ण सुगम क्षेत्र की सेवा का विवरण			सम्पूर्ण दुर्गम क्षेत्र की सेवा का विवरण			अभ्युक्ति
											वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

नोटः–

1. अवधि की गणना दिनांक 31.05.2025 तक करते हुये उक्त सूचना प्रत्येक संवर्गवार पृथक–पृथक प्रपत्र पर उपलब्ध कराये।
2. जो खण्ड/उपखण्ड/कैम्प –कार्यालय अपने कालक्रम की वस्तुस्थिति की अवधारणा में सुगम/दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत यथास्थित हैं उनमें कार्यरत कार्मिको को उनकी तैनाती के अनुसार सुगम/दुर्गम क्षेत्र अन्तर्गत परिभाषित किया जाय।
3. कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता जिनके उपखण्डीय कार्यालय सुगम क्षेत्र में स्थित है उनको यदि दुर्गम कार्यस्थलों पर तैनात किया जाता है, उनके दुर्गम कार्य स्थलों की तैनाती अवधि की कुल योग की सेवा को ही दुर्गम की सेवा में परिभाषित किया जाये एवं इस निर्धारित प्रपत्र पत्र के साथ आदेश की प्रति मय मापपुस्तिकाओं में दर्ज कार्य की प्रति उपलब्ध करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-5249/प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक–2/ दिनांक 05 दिसंबर 2024

विषयः– आगामी स्थानान्तरण वर्ष–2025 हेतु कार्मिकों की सुगम-दुर्गम की सेवाओं की सपष्टता के निर्धारण के सम्बन्ध में।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II/यॉत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून/हरिद्वार/अल्मोडा/हल्द्वानी/श्रीनगर।
2. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, प्रदीशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 देहरादून।

अवगतनीय है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत अधिकारियों/कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके द्वारा सुगम/दुर्गम में की गयी अर्हकारी सेवा के आधार पर विवेचित किया जाता है। अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सुगम/दुर्गम में की गयी अर्हकारी सेवा का विवरण उनकी पदस्थापना अनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी कमशः मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों से प्राप्त होता है को प्रथम दृष्टया यथास्थिति अवधारणा के क्रम में, विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर कार्मिकों से आपत्तियाँ/ ऐच्छित स्थानों के आवेदन प्राप्त किये जाते है, तथापि सुगम- दुर्गम स्थानातरण की वरीयता सूची अंतिम स्वरुप में निधारित कर, नियम संगत रूप में पुनः विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाती है। उक्तान्तार्गत विभिन्न कार्यालयध्यक्षों द्वारा सुगम/दुर्गम स्थानों के सापेक्ष विवेचित सूचना, जो प्रमुख अभियंता कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है, को स्थानातरण अधिनियम–2017 अंतर्गत निर्धारित अल्प समयावधि में नियम संगत विवेचित किया जाना संभव नहीं हो पाता है, यथा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

आगामी स्थानान्तरण वर्ष–2025 प्रारम्भ होने वाला है, जिसमें गत स्थानान्तरण वर्षों में विभागान्तर्गत कतिपय कठिनाईयां परिस्थितिजन्य परिलक्षित हुयी हैं, जिनकों आगामी स्थानान्तरण वर्ष 2025 में विभागीय हितार्थ दूर किया जाना आवश्यक है, का विवरण निम्नानुसार हैः–

1- सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर उपखण्ड मुनि–की–रेती अन्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके विभिन्न समय अन्तराल (एक कार्यस्थल पर निरंतरता नहीं, अपितु विभिन्न कार्यस्थल अल्प समय अवधियाँ) अनुसार उनके कार्यक्षेत्र के क्रम में, समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को दुर्गम में की गयी सेवा अन्तर्गत विश्लेषित/ चिह्नित किया जाता है (गत स्थानातरण वर्ष-2024 में समस्त कनिष्ठ अभियंता दुर्गम सेवा हेतु विनिश्चित किये गए)। अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया उक्त विश्लेशण (मुख्यालय से गंतव्य कार्यस्थल की दूरियों हेतु वाहन भत्ता भी अनुमन्य किये जाने के सापेक्ष) इस कार्यालय को विलोपित रहा, तथा इस अवधारणा का बोधक है कि उक्त उपखण्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता सदैव दुर्गम की सेवा का लाभ प्राप्त करेगा एवं कई वर्षो की निरन्तर दुर्गम सेवा के क्रम में यथा स्थान ही पदस्थापित रहेगा, अग्रेत्तर पदोन्नति पर ही उस स्थान से पृथक किया जा सकेगा। ऐसे में अन्य किसी कनिष्ठ अभियंता को अपने अर्हता के क्रम में भी उक्त स्थान पर पदस्थापना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

2- उपर्युक्त विन्दु 02 को यथा परिस्थिति अनुसार ही अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड, देहरादून द्वारा भी पूर्व समय से कनिष्ठ अभियंताओं को दुर्गम क्षेत्रों के अधिकांश निक्षेप कार्यों अंतर्गत, दुर्गम सेवा की गणना में ही विचारित किया जा रहा है। जबकि इनके द्वारा मुख्यालय से गंतव्य कार्यस्थल की दूरियों हेतु वाहन भत्ता, जो कि वर्तमान में ग्रेड-पे अनुसार है, भी दिया जा रहा है। यह भी पूर्व परिलक्षित है कि कतिपय अभियंतागण अपनी पदोन्नति पर ही उक्त खंड से पृथक हुए है, तथापि दुर्गम सेवा की अभिव्यक्ति अनुरूप, यथा कार्यालय स्थाईत्व का लाभ प्राप्त कर रहें हैं।

3- सिंचाई खण्ड, कालसी के 03 उपखण्ड कमशः उपखण्ड त्यूनी, उपखण्ड चकराता, उपखण्ड कोटी दुर्गम क्षेत्र अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, के उक्त 03 उप-खंडीय कैम्प कार्यालय के रूप में अपनी उत्पत्ति, जो कि उत्तर प्रदेश समय–काल से ही सार्वभौमिक स्वरुप में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय परिसर अन्तर्गत ही संचालित होते आये हैं/ हो रहें हैं। इस स्वरुप में सहायक/ अन्य अभियंतागण, मिनिस्टीरियल कर्मचारीगण, प्रत्येक परिद्रश्य में सुगम सेवा की परिभाषा में श्रेणीबद्ध विवेचित होते हैं। अतः पुनरावृत्ति के साद्रशय सर्व समीक्षा (यथा संचालित कार्यालय स्थल, वाहन/ यात्रा भत्ता, उप-खंडीय परिसर के मरम्मत/ विद्युत बीजक मय फोटोग्राफ एवं सी0डी0आर0) जन-हितार्थ आवश्यक है।

4. जमरानी बांध परियोजना/सौंग बांध परियोजना हेतु आवंटित हेड-क्वार्टर/ खण्डीय कार्यालय सुगम क्षेत्रान्तर्गत क्रमशः हल्द्वानी/देहरादून में स्थित है तथा उक्तान्तर्गत कार्यस्थल नियम क्षेत्रों से परे दुर्गम क्षेत्र अन्तर्गत वर्गीकृत होते हैं, का समस्त फील्ड स्टाफ (सहायक अभियन्तागण, कनिष्ठ अभियन्तागण, राजस्व संवर्ग के सीचपाल, नलकूप चालक, सीचपर्यवेक्षक, जिलेदार, उपराजस्व अधिकारीगण, गेट इत्यादि), जो कि प्रत्येक दिवस निर्धारित समय अवधि के लिए कार्यस्थल को आवागमन करते हैं, तथा जिनका रिपोर्टिंग मुख्यालय उपखण्ड/खण्ड है, के हेतु सुगम–दुर्गम की सेवा का निर्धारण भविष्य हेतु अपरिहार्य स्वरूप में किया जाना आवश्यक है। तथापि कतिपय कार्मिकों को इनके निवासरत स्थान (आवासीय कालोनी सुगम स्थान पर) से कार्यस्थल के मध्य अनुमन्य वाहन भत्ता/ सरकारी वाहन से नित्य आवागमन के क्रम में कार्मिकों की सेवा की गणना सुगम स्थल हेतु ही की जानी नियम संगत है। यथा विश्लेषित विचार अवश्यंभावी है।
5. सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी के उपखंडों हेतु भी सुगम/दुर्गम का सुसंगत निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
6. सिंचाई खण्ड, रानीखेत के उपखंडों हेतु मुख्यतः रामनगर उपखंड जिसका कार्यक्षेत्र भले ही दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत विश्लेषित है, अपितु समस्त कार्मिक रामनगर बैराज परिसर कक्ष में अवस्थित होकर यथा आहरित वाहन भत्ता (रिपोर्टिंग मुख्यालय से नित्य/ आवश्यकतानुसार गंतव्य या फिर दुर्गम कार्यस्थल हेतु) के परिद्रश्य में कार्यरत/ क्रियान्वित रहते हैं, हेतु भी सुगम/दुर्गम सेवा का सुसंगत निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
7. सिंचाई खण्ड, नैनीताल के उपखंडों हेतु मुख्यतः कोटाबाग कार्यक्षेत्र जिनका क्रियान्वयन कलाढूंगी परिसर में अवस्थित होकर यथा आहरित वाहन भत्ता के परिद्रश्य में किया जाता है, हेतु भी सुगम/दुर्गम सेवा का सुसंगत निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
8. PMGSY सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी एवं PMGSY सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट के उपखंडों हेतु भी सुगम/दुर्गम सेवा का सुसंगत निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
9. **स्थापना खंड, रूडकी, नलकूप खंड टनकपुर एवं नलकूप खंड रामनगर** के उपखंडों हेतु भी सुगम/दुर्गम सेवा का सुसंगत निर्धारण किया जाना आवश्यक है। यद्धपि विवरण में कतिपय उपखंड अनुरूप विस्तृत आख्या विवेचित नहीं की गयी है तथापि उपखंडों में कार्यरत कार्मिकों मय अभियंतागणों का सेवा समरूप सम्यक सार उपर्युक्त अंकित प्रस्तरों के साद्रश्य उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
10. अन्य नीतिगत मामलों में मिनिस्टिीरियल संवर्ग में अधिशासी अभियन्ता के विभिन्न कार्यालयों अन्तर्गत अवस्थित उपखण्डों में साधारणतः कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं अधिकतम प्रधान सहायकों की पदस्थापना की जानी चाहिए, के विपरीत कतिपय प्रकरणों में प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा पदस्थापित किया जाता है।

स्थानातरण अधिनियम-२०१७ अंतर्गत उक्त विन्दुओं का निराकरण यथा अंतिम निर्धारण हेतु अंतर्गत प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग अधिकृत/ अधिसूचित हैं। इसी क्रम में प्रथम-द्रष्टया विभिन्न कार्यालयध्यक्षों से राय प्राप्त करने हेतु निदेश प्राप्त हुए हैं, के क्रम में उक्त विन्दुवार सूचना 15 दिवस के भीतर, अंतिम स्वरुप में अपरिहार्यतः दिनांक 24.12.2024 तक अवश्यंभावी रूप में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता